EPCH
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
Connecting. Empowering. Transforming.
EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS
CIN: U20299DL 1986NPL023253 | GST NO. 07AAACE1747M1ZJ

प्रेस विज्ञप्ति

यूरोपीय संघ आयोग ने ईयू वन कटाई अधिनियम (ईयूडीआर) को टालने का प्रस्ताव दिया

नई दिल्ली/एनसीआर – 24 सितंबर, 2025 – हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने यूरोपीय आयोग (ईयू कमीशन) के उस प्रस्ताव का स्वागत किया है, जिसमें ईयू वनों की कटाई अधिनियम (ईयूडीआर) को लागू किए जाने को फिलहाल स्थगित करने की बात कही गई है। यह देरी ईयू के ड्यू-डिलिजेंस पोर्टल की सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) की तैयारियों के मद्देनजर प्रस्तावित की गई है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सप्लाई चेन में किसी भी संभावित रुकावट से बचना है, फिलहाल इस सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है और अब इसके लिए यूरोपीय संघ के संसद और ईयू के सदस्य देशों की मंजूरी आवश्यक होगी।

प्रस्ताव का स्वागत करते हुए, ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना ने कहा कि, "ईयूडीआर का प्रस्तावित स्थगन हमारे लकड़ी के हस्तशिल्प निर्यातकों के लिए समय पर राहत है। अब इस अतिरिक्त अवसर को हमारे एमएसएमई के लिए व्यावहारिक तैयारी में परिवर्तित किया जाना चाहिए। अब हमें उम्मीद है कि एक विस्तृत और एकसमान गाइडलाइन मिले- जिसमें ड्यू डिलिजेंस (सावधानीपूर्वक जांच) के लिए एक निश्चित नियम पर आधारित फॉर्मेट, जोखिम मूल्यांकन और सटीक जियो-लोकेशन डेटा के कॉलम, सप्लाई चेन की चेकलिस्ट और ऐसे मॉडल घोषणापत्र शामिल हों, जिन्हें आपूर्तिकर्ता और खरीदार दोनों ही शुरू से लेकर अंत तक इस्तेमाल कर सकें।"

डॉ. खन्ना ने आगे कहा, "अगर ये जानकारी स्पष्ट और साफ मिलती हैं तो ईयूडीआर के लिए भारत के छोटे और मझोले उद्योग पूरी तरह तैयार हो सकते हैं। इससे यूके और ईयू के खरीदारों को क्रिएटिविटी, दीर्घकालिक उत्पाद और अनुपालनों का वही मिश्रण हासिल होगा जिसकी वो अपेक्षा करते हैं, साथ ही भारत से सोर्सिंग भी बिना किसी बाधा की चलती रहेगी और पर्यावरण से जुड़े उद्देश्यों को भी अक्षरशः पूरा किया जाता रहेगा।"

आगे की रणनीति का उल्लेख करते हुए, ईपीसीएच के महानिदेशक की भूमिका में मुख्य संरक्षक और आईईएमएल के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने कहा कि "ईयूडीआर सीधे तौर पर हमारे इकोसिस्टम को पूरी तरह प्रभावित करता है क्योंकि होम और फर्नीचर समेत कई हस्तशिल्प उत्पादों में लकड़ी या लकड़ी पर आधारित कच्चे माल का उपयोग होता है। बड़े कारोबारियों के लिए इस अधिनियम को पहले ही 30 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया था, साथ ही अब इसे आगे और टाले जाने और आईटी-सिस्टम की तैयारियों को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, ऐसे में हमारी प्राथमिकता इस हासिल हुए अतिरिक्त समय को व्यावहारिक तैयारियों में लगाने की होनी चाहिए। हम इस अधिनियम के पर्यावरण से जुड़े इरादों का सम्मान करते हैं और यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगे कि भारत के कारीगरों पर आधारित निर्यातक ईयूडीआर की सभी आवश्यक शर्तों को पूरी विश्वसनीयता के साथ, उचित अनुपात में और समय पर पूरा करें, ताकि भारत से यूरोपीय संघ को होने वाली आपूर्ति, अधिनियम के लक्ष्य का पालन करते हुए निर्बाध चलती रहे।"

ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. वर्मा ने कहा, "ईयूडीआर को लागू करने की तारीख आगे बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद, अब हमारा पूरा ध्यान इस समय का सही इस्तेमाल व्यावहारिक तैयारी करने पर है। हम अपनी 'वृक्ष' टिम्बर लीगैलिटी असेस्मेंट ऐंड वेरिफिकेशन योजना के साथ पहले ही वैश्विक स्थिरता की सोच के साथ जुड़े हुए हैं, जो वैश्विक खरीदारों को कानूनी तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ लकड़ी की आपूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन है। अब हमें इसके अगले चरण की ओर बढ़ना है जिसमें देशभर के अलग-अलग समूहों में बंटे क्लस्टर में जियो-लोकेशन पर आधारित ट्रेसेबिलिटी और चेन-ऑफ-कस्टडी को लागू करना है। इसके लिए हमें नीति सुगमता, कारीगरों की क्षमताओं को बढ़ाने और खरीदारों एवं नियामकों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। सामूहिक रूप से काम करने पर हम ईयूडीआर जैसे अधिनियमों का पालन इस प्रकार कर सकते हैं कि हमारे एमएसएमई पर इसका बोझ बहुत अधिक न पड़े। इससे न केवल रोजगार सुरक्षित रहेंगे बल्कि वैश्विक बाजार तक हमारी पहुंच भी बनी रहेगी और भारत से निर्यात प्रतिस्पर्धा की क्षमता और मजबूत होगी।"

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद देश से हस्तशिल्पों के निर्यात को बढ़ावा देने और देश के विभिन्न हस्तशिल्प क्लस्टरों में काम कर रहे लाखों कारीगरों के जादुई हाथों से बने उत्पादों- जैसे होम डेकोर, लाइफस्टाइल, टेक्सटाइल, फर्नीचर, फैशन जूलरी एवं एक्सेसरीज को वैश्विक ब्रांड बनाने की दिशा में कार्य करने वाली एक नोडल संस्थान है। वर्ष 2024-25 के दौरान हस्तशिल्प का कुल निर्यात 33,123 करोड़ रुपये (3,918 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा और 2024-25 के दौरान काष्ठ हस्तशिल्प का निर्यात 8524.74 करोड़ रुपये (1008.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का रहा, जिसमें रुपये के संदर्भ में 6% और डॉलर के संदर्भ में 3.84% की वृद्धि दर्ज की गई और अकेले यूरोपीय संघ को निर्यात 2,591.29 करोड़ रुपये (306.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. वर्मा ने बताया I

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:
श्री आर. के. वर्मा, कार्यकारी निदेशक, ईपीसीएच
+91-9810679868

EPCH
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
Connecting. Empowering. Transforming.
EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS
CIN: U20299DL 1986NPL023253 | GST NO. 07AAACE1747M1ZJ

PRESS RELEASE

EU Commission Proposes Postponement of EU Deforestation Regulation (EUDR) Implementation

New Delhi/NCR – 24th September'2025 – The Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH) welcomed the European Commission's proposal to postpone enforcement of the EU Deforestation Regulation (EUDR) owing to information-technology readiness of the EU due-diligence portal. The proposal aims to avoid supply-chain disruption while the system is upgraded and will now require approval from the European Parliament and EU member states.

Welcoming the proposal, Dr. Neeraj Khanna, Chairman-EPCH, shared that "proposed postponement of EUDR is a timely relief for our wooden handicraft exporters. The additional window must now be converted into practical preparedness for our MSMEs. Now we look forward to detailed, uniform guidance that provides standardised due-diligence templates, precise data fields for geolocation and risk assessment, chain-of-custody checklists and model declarations that suppliers and buyers can adopt end-to-end." "With the clear information, Indian MSMEs can be fully EUDR ready offering UK/EU buyers the same blend of creativity, sustainability and compliance they expect, that sourcing from India continues seamlessly while the regulation's environmental objectives are met in letter and spirit." Dr. Khanna added further.

Mentioning the way forward, Dr. Rakesh Kumar, Director General in the role of Chief Mentor – EPCH and Chairman – IEML said that "EUDR directly affects our ecosystem because many of handicraft products including home and furniture use wood or wood-based inputs. With enforcement already moved to 30 December 2025 for large operators with proposed additional postponement and IT-readiness cushion under consideration, the priority now is to turn time into practical readiness. We respect the regulation's environmental intent and will work to ensure that India's artisan-led exporters meet EUDR requirements credibly, proportionately and on time, so that EU sourcing remains uninterrupted while the regulation's goals are fulfilled."

Mr. R. K. Verma, Executive Director - EPCH said that "With the proposed EUDR implementation postponement, now our focus is to use this time to stand up for practical readiness. We have long aligned with global sustainability through our 'Vriksh' Timber Legality Assessment and Verification Scheme, an internationally recognised assurance for legal, responsible wood sourcing to global buyers. The next phase is to scale up by implementing geo-referenced traceability and chain-of-custody across decentralised clusters. This requires policy facilitation, capacity-building and structured international cooperation with buyers and regulators. With a collective approach we can meet compliance requirement without pricing out MSMEs, thereby protecting jobs, preserving market access and strengthening export competitiveness."

Export Promotion Council for Handicrafts is a nodal institution for promotion of exports of handicrafts from the Country and create brand image of magic of the gifted hands of millions of craftspersons engaged in production of home, lifestyle, textiles, furniture and fashion jewellery & accessories products in different craft clusters of the Country. The overall Handicrafts exports during the year 2024-25 was Rs. 33,123 Crores (US $ 3,918 Million) and the exports of wooden Handicrafts during the year 2024-25 was 8524.74 crores (US$ 1008.04 million) registering a growth of 6% in rupee term and 3.84% in dollar term with exports to European Union alone stood at ₹2,591.29 crore (USD 306.40 million) informed by Shri R. K. Verma, Executive Director, EPCH.

For more information please contact:
Mr. R. K. Verma, Executive Director, EPCH
+91-9810679868

Encl: Hindi, English version